



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256830  
CG-DL-E-02092024-256830

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946

No.232]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार वार्ता बहुपक्षीय प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2024

सं. के-44033/1/2020-टी पी डी (टी एन एम).—दिनांक 1 फरवरी 2021 के समसंख्यक राजपत्र अधिसूचना का संशोधन करते हुए, एतद्वारा आम सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री दर्पण जैन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, तत्काल प्रभाव से श्री अनंत स्वरूप, तत्कालीन संयुक्त सचिव के स्थान पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए नामित प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे:

- सीमाशुल्क प्रशुल्क (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995, यथासंशोधित;
- सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995, यथासंशोधित;
- सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम, 1997 यथासंशोधित और सीमा शुल्क प्रशुल्क (संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 यथासंशोधित और
- रक्षोपाय साधन (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 यथासंशोधित

राकेश कुमार, अपर डीजीएफटी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)**

(TRADE NEGOTIATIONS MULTILATERAL DIVISION)

**ORDER**

New Delhi, the 2nd September, 2024

**No. K-44033/1/2020-TPD(TNM).**—In modification of Gazette Notification of even number dated 1<sup>st</sup> February 2021, it is hereby notified for the general information that Shri Darpan Jain, Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce shall discharge the functions of the Designated Authority with immediate effect, in place of Shri Anant Swarup, then Joint Secretary, for the purpose of:

- i) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- ii) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- iii) The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 as amended and Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, as amended; and
- iv) Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012, as amended.

RAKESH KUMAR, Addl. DGFT